

17-12-2025

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। अपीलार्थी के वकील ने यह अनुरोध किया कि अपील में चाहा गया अनुतोष मिल गया है एवं पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है, जिससे अपीलार्थी, इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहती है, इसलिये इस अपील को जरिये Not Press खारिज करना फरमावे। चूंकि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से अपीलार्थी के वकील ने इस अपील को Not Press किया है। अतः अपीलार्थी की अपील जरिये Not Press खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

Lupe
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

चाह गया
अनुतोष मिल
गया है (मध्य
पक्षकारान के
मध्य राजीनामा
हो गया है) यह
इस अपील को
जरिये Not Press
खारिज
कराया है।
Acha

उक्त अपील पर
मौखिक रूप से आदेश दिया गया कि अपील को
अपिल रजिस्ट्रार के कार्यालय में अर्जित होने पर
उत्तरदाता को तृतीय श्रेणी के अर्थ में अर्जित होने पर
वकील के अतिरिक्त उत्तरदाता को तृतीय श्रेणी के अर्थ में
उत्तरदाता को तृतीय श्रेणी के अर्थ में उत्तरदाता को तृतीय श्रेणी के अर्थ में